Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed and indexed)
Journal home page: www.researchambition.com
ISSN: 2456-0146, Vol. 11, Issue-I, May 2026

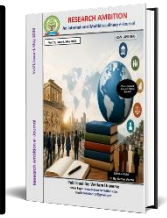

कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं का महत्व एवं उपयोगिता: एक समीक्षात्मक अध्ययन

(The Importance and Utility of Counsellors Appointed Under the Family Courts Act, 1984: An Analytical Study)

Sarita Rajani,[a*] **Dr. Rajvendra Kumar Chaudhary,**[b**]

[a]*Ph.D. Scholar, Mansarovar Global University, Sehore, Madhya Pradesh, India*
[b]*Associate Professor (Law), Mansarovar Global University, Sehore, Madhya Pradesh, India.*

KEYWORDS

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, पारिवारिक विवाद, सुलह एवं समझौता, वैवाहिक विवाद, परामर्शदाता, न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक न्याय, परिवार न्यायालय, विवाद निस्तारण।

ABSTRACT

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 का उद्देश्य पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना है, जो केवल विधिक दृष्टिकोण तक सीमित न रहकर सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों को भी महत्व प्रदान करे। पारिवारिक विवादों की प्रकृति जटिल होती है, क्योंकि इनमें वैवाहिक संबंधों, भावनात्मक तनाव, सामाजिक परिस्थितियों तथा बच्चों के हितों जैसे अनेक संवेदनशील पक्ष जुड़े रहते हैं। इन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता विवादग्रस्त पक्षों के मध्य संवाद स्थापित करने, आपसी समझ विकसित करने तथा सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं के कार्यों, दायित्वों तथा उनकी उपयोगिता का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध में यह विवेचना की गई है कि किस प्रकार परामर्शदाता न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, मानवीय तथा परिणामोन्मुख बनाते हैं। साथ ही, परिवार न्यायालयों में परामर्श व्यवस्था के समक्ष उपस्थित व्यावहारिक चुनौतियों, जैसे प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, प्रक्रियागत विलंब तथा संसाधनों के अभाव का भी परीक्षण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परामर्शदाता न केवल विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण में सहायक हैं, बल्कि परिवार संस्था की स्थिरता एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः परिवार न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए परामर्शदाताओं की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

परिचय

परिवार समाज की मूल इकाई है और परिवार के भीतर उत्पन्न विवाद समाज पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 से पूर्व पारिवारिक मामलों का निपटारा सामान्य दीवानी न्यायालयों में होता था, जहाँ प्रक्रियाएँ लंबी और विवादात्मक होती थीं। इस अधिनियम का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का समाधान सौहार्दपूर्ण वातावरण में करना तथा समझौते को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार न्यायालयों को अपनी स्वयं की प्रक्रियाएँ निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है तथा वे दीवानी प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कठोर प्रावधानों से बाध्य नहीं हैं। इससे न्यायालयों को अधिक लचीला और अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाने

>Corresponding author
***E-mail:** saritapoem@gmail.co.in (Sarita Rajani).
https://orcid.org/0009-0006-4461-3556
DOI: https://doi.org/10.53724/ambition/v11n1.02
Received 8th March 2026; Accepted 15th April 2026
Available online 30th May 2026
2456-0146 /© 2026 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

की सुविधा मिलती है, जो विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे और समझौते को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल होता है।

परिकल्पना

- **मुख्य परिकल्पना–** कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनकी सक्रिय भागीदारी न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय एवं परिणामोन्मुख बनाती है।
- **उप–परिकल्पनाएँ**
  1. कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की सहभागिता से वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में सुलह एवं समझौते की संभावना बढ़ती है।
  2. परामर्शदाताओं की सहायता से मुकदमेबाजी की अवधि एवं न्यायिक व्यय में कमी आती है।
  3. महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के हितों के संरक्षण में परामर्शदाता महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।
  4. प्रशिक्षित एवं अनुभवी परामर्शदाताओं की उपलब्धता कुटुम्ब न्यायालयों की कार्यक्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  5. परामर्श व्यवस्था के समक्ष विद्यमान व्यावहारिक चुनौतियाँ, जैसे प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, प्रक्रियात्मक विलंब तथा अवसंरचना का अभाव, इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।
  6. यदि परामर्शदाताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधन एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाए, तो कुटुम्ब न्यायालयों में विवाद निस्तारण की गुणवत्ता एवं सफलता दर में वृद्धि हो सकती है।
- **शून्य परिकल्पना–** कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं की भूमिका का पारिवारिक विवादों के निस्तारण की प्रभावशीलता, सुलह की संभावना तथा न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।
- **वैकल्पिक परिकल्पना–** कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं की भूमिका पारिवारिक विवादों के निस्तारण की प्रभावशीलता, सुलह की संभावना तथा न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

शोध प्रश्न

1. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परामर्शदाता की भूमिका क्या है?
2. पारिवारिक विवादों के समाधान में परामर्शदाता कितना प्रभावी सिद्ध होता है?
3. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के उद्देश्यों की प्राप्ति में परामर्शदाता का योगदान कितना महत्वपूर्ण है?
4. परमर्शदताओं के समक्ष चुनौतियाँ एवं सुझाव द्य

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पर आधारित है। इसमें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परामर्शदाता की भूमिका, महत्व तथा प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाएगा।

शोध की रूपरेखा

इस शोध में गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। विभिन्न पुस्तकों, शोध–पत्रों, न्यायिक निर्णयों तथा

कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले गये है।

डेटा के स्रोत

(क) **प्राथमिक स्रोत** – कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय और अधिनियम, रिपोर्ट।

(ख) **द्वितीयक स्रोत** – पुस्तकें, शोध–पत्र एवं जर्नल लेख, विधिक पत्रिकाएँ, आधिकारिक वेबसाइटें, शोध प्रबंध।

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएँ

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी विधि है, जिसका निर्माण पारिवारिक विवादों के समाधान को अधिक प्रभावी, मानवीय तथा सुलभ बनाने के उद्देश्य से किया गया था। सामान्य न्यायालयों में पारिवारिक मामलों के निस्तारण में होने वाली देरी, औपचारिकताओं की अधिकता तथा विवादों की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लागू किया गया। अधिनियम का मूल उद्देश्य केवल न्यायिक निर्णय प्रदान करना नहीं है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को यथासंभव संरक्षित रखते हुए विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना भी है।

1. **पारिवारिक विवादों का त्वरित निस्तारण–** कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक विवादों का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिकता के कारण पारिवारिक विवादों के निस्तारण में अक्सर अत्यधिक समय लग जाता है, जिससे पक्षकारों को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना के माध्यम से विवाह–विच्छेद, भरण–पोषण, संरक्षकता, अभिरक्षा तथा वैवाहिक अधिकारों से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। त्वरित न्याय से न केवल पक्षकारों का समय और धन बचता है, बल्कि उनके मानसिक तनाव में भी कमी आती है (Family Courts Act, 1984).
2. **सुलह एवं समझौते को प्रोत्साहन–** इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह न्यायिक निर्णय से पूर्व सुलह एवं समझौते को प्राथमिकता प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं का परीक्षण करे और उन्हें सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है। सुलह की यह प्रक्रिया पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने तथा विवादों के स्थायी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (Law Commission of India, 1974).
3. **न्यायिक प्रक्रिया को कम औपचारिक बनाना–** सामान्य न्यायालयों की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल, तकनीकी एवं औपचारिक होती है, जो कई बार पक्षकारों के लिए तनावपूर्ण सिद्ध होती है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं कम औपचारिक बनाना है। कुटुम्ब न्यायालयों में साक्ष्य एवं प्रक्रिया संबंधी नियमों को अपेक्षाकृत लचीला रखा गया है ताकि पक्षकार बिना किसी भय या संकोच के अपनी समस्याओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जो विधिक ज्ञान से परिचित नहीं हैं (Diwan, 2021).

4. **महिलाओं एवं बच्चों के हितों का संरक्षण–** पारिवारिक विवादों का सर्वाधिक प्रभाव प्रायः महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में उनके हितों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। भरण–पोषण, अभिरक्षा, संरक्षकता तथा घरेलू विवादों से संबंधित मामलों में न्यायालय बच्चों के सर्वोत्तम हित तथा महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की सहायता से न्यायालय ऐसे निर्णय लेने का प्रयास करता है जो कमजोर एवं संवेदनशील वर्गों के कल्याण के अनुकूल हों (Narayan, 2018).
5. **सामाजिक न्याय की स्थापना–** कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम का व्यापक उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। परिवार समाज की मूल इकाई है और परिवार में उत्पन्न विवादों का प्रभाव संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए अधिनियम केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता, पारिवारिक स्थिरता तथा सामुदायिक कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा कमजोर वर्गों के संरक्षण के माध्यम से यह अधिनियम संविधान में निहित सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करने का प्रयास करता है (Ratanlal & Dhirajlal, 2022).

परामर्शदाता का अर्थ

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अनुसार परिवार न्यायालयों की सहायता के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा सकती है। परामर्शदाता ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो पक्षकारों को उनकी समस्याओं को समझने, संवाद स्थापित करने और विवादों के समाधान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का वैधानिक आधार

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 6 में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है, जिनके पास सामाजिक कल्याण, मनोविज्ञान अथवा पारिवारिक परामर्श का अनुभव हो।

पारिवारिक विवादों के निस्तारण में परामर्शदाताओं का महत्व– पारिवारिक विवादों के निस्तारण के परामर्शदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि निम्नलिखित है–

1. पारिवारिक विवाद सामान्य दीवानी या आपराधिक विवादों से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें केवल कानूनी अधिकारों और दायित्वों का प्रश्न नहीं होता, बल्कि पति–पत्नी, माता–पिता, बच्चों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध भी जुड़े होते हैं। वैवाहिक मतभेद, तलाक, भरण–पोषण, अभिरक्षा तथा पारिवारिक संपत्ति से संबंधित विवाद अक्सर मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और भावनात्मक अस्थिरता को जन्म देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल न्यायिक निर्णय विवाद का पूर्ण समाधान नहीं कर पाता। इसलिए कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2. परामर्शदाता विवादग्रस्त पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करते हैं। कई बार पारिवारिक विवादों का मुख्य कारण आपसी संचार की कमी, गलतफहमी अथवा भावनात्मक

दूरी होती है। परामर्शदाता पक्षकारों को अपनी भावनाओं एवं समस्याओं को खुलकर व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा उनके बीच समझ और विश्वास का वातावरण विकसित करने का प्रयास करते हैं। इससे विवाद की वास्तविक प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है और समझौते की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

3. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 का मूल उद्देश्य भी न्यायिक निर्णय देने से पूर्व सुलह एवं समझौते को प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। वे न केवल पक्षकारों को कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से अवगत कराते हैं, बल्कि उन्हें विवाद के सामाजिक और पारिवारिक परिणामों के प्रति भी संवेदनशील बनाते हैं। विशेष रूप से उन मामलों में, जहाँ बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, परामर्शदाता दोनों पक्षों को बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करते हैं।
4. परामर्शदाताओं की सहायता से अनेक मामलों का समाधान न्यायालय के बाहर या प्रारंभिक स्तर पर ही संभव हो जाता है, जिससे मुकदमेबाजी की अवधि और लागत दोनों में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार भी कम होता है। इस प्रकार परामर्श व्यवस्था न केवल पक्षकारों के हितों की रक्षा करती है, बल्कि न्यायिक प्रशासन की दक्षता को भी बढ़ाती है।
5. महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के हितों की सुरक्षा में भी परामर्शदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक निर्भरता तथा अभिरक्षा संबंधी समस्याओं को समझते हुए न्यायालय को आवश्यक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इससे न्यायालय को अधिक संतुलित एवं न्यायसंगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
6. यद्यपि परामर्शदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथापि उनकी प्रभावशीलता उनके प्रशिक्षण, अनुभव और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। यदि परामर्श प्रक्रिया को संस्थागत रूप से अधिक मजबूत बनाया जाए, तो पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान की संभावना और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए वर्तमान समय में कुटुम्ब न्यायालयों की सफलता के लिए परामर्शदाताओं की भूमिका को न्यायिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग माना जाना चाहिए।

परामर्शदाता के महत्व को उजागर करने वाले ऐतिहासिक फैसले

कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने समय–समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में सुलह, परामर्श तथा मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यद्यपि अधिकांश निर्णयों में ष्परामर्शदाताष शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी न्यायालयों ने उनकी भूमिका और आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है।

1. **के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा (2013)–** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वैवाहिक विवादों के समाधान में न्यायालयों को

केवल कानूनी अधिकारों और दायित्वों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दंपति के बीच सुलह एवं समझौते की संभावनाओं का भी परीक्षण करना चाहिए। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने के लिए परामर्श एवं मध्यस्थता की प्रक्रिया अत्यंत उपयोगी है। यह निर्णय परामर्शदाताओं की आवश्यकता को बल प्रदान करता है, क्योंकि वे पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित करने में सहायता करते हैं।

2. **एफकोन इन्फ्रस्ट्रक्चर लि. बनाम चेरियन वर्के कंस्ट्रक्शन कं. (प्रा.) लि. (2010)**– यद्यपि यह मामला प्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक विवाद से संबंधित नहीं था, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक विवाद निवारण (ए.डी.आर.) तंत्र, विशेषकर मध्यस्थता और सुलह की महत्ता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद ऐसे मामले हैं जिनमें समझौता और संवाद आधारित समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुटुम्ब न्यायालयों में कार्यरत परामर्शदाता इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

3. **के.ए. अब्दुल जलील बनाम टी.ए. शाहिदा (2003)**– इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कुटुम्ब न्यायालयों की विशेष प्रकृति को स्वीकार करते हुए कहा कि इन न्यायालयों का उद्देश्य केवल विवादों का निर्णय करना नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को संरक्षित रखने का प्रयास करना भी है। न्यायालय ने यह माना कि कुटुम्ब न्यायालयों को सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह उद्देश्य परामर्शदाताओं की सक्रिय भागीदारी से ही प्रभावी रूप से पूरा किया जा सकता है।

4. **जगराज सिंह बनाम बीरपाल कौर (2007)**– सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि विवाह संस्था समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और न्यायालयों को वैवाहिक विवादों में सुलह के सभी संभव प्रयास करने चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि वैवाहिक संबंधों को बचाने की संभावना हो, तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण परामर्शदाताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि वे सुलह की संभावनाओं को विकसित करने में सहायता करते हैं।

5. **समर घोष बनाम जया घोष (2007)**– इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों में उत्पन्न मानसिक एवं भावनात्मक समस्याओं की जटिलता को स्वीकार किया। न्यायालय ने माना कि वैवाहिक विवादों का समाधान केवल कानूनी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलुओं को समझना आवश्यक है, जो परामर्शदाताओं की विशेषज्ञता का क्षेत्र है।

6. **शिल्पा शैलेष बनाम वरून श्रीनिवासन (2023)**– इस हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता एवं समझौते की उपयोगिता को पुनः रेखांकित किया। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक विवादों में संवाद और परामर्श आधारित समाधान न्यायिक प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रभावी एवं स्थायी हो सकते हैं। यह निर्णय आधुनिक पारिवारिक न्यायशास्त्र में परामर्शदाताओं की बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाता है।

उपरोक्त निर्णयों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका पारिवारिक विवादों में प्रतिद्वंद्वी

न्याय (Adversarial Justice) की अपेक्षा सहयोगात्मक एवं समाधानोन्मुख न्याय (Therapeutic Justice) को अधिक महत्व देती है। परामर्शदाता इस उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पक्षकारों के बीच संचार स्थापित करते हैं, भावनात्मक तनाव को कम करते हैं तथा न्यायालय को विवाद के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों से अवगत कराते हैं। इस प्रकार, परामर्शदाता केवल न्यायिक प्रक्रिया के सहायक नहीं, बल्कि पारिवारिक न्याय व्यवस्था के एक अनिवार्य अंग हैं।

कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्श व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियाँ

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत परामर्श व्यवस्था को पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यद्यपि इस व्यवस्था ने अनेक मामलों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये चुनौतियाँ परामर्श प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा उसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

(1) **प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव–** परामर्श प्रक्रिया की सफलता मुख्य रूप से परामर्शदाताओं की योग्यता, अनुभव और कौशल पर निर्भर करती है। भारत के अनेक राज्यों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ परामर्शदाता उपलब्ध नहीं हैं। कई स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा अन्य व्यक्तियों को सीमित प्रशिक्षण के आधार पर परामर्शदाता नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके कारण वे पारिवारिक विवादों के जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावी ढंग से नहीं समझ पाते। परिणामस्वरूप परामर्श प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में असफल रहती है। विशेष रूप से घरेलू हिंसा, बाल अभिरक्षा तथा वैवाहिक विघटन जैसे संवेदनशील मामलों में विशेषज्ञता की कमी गंभीर समस्या बन जाती है (Diwan, 2021)।

(2) **प्रक्रियात्मक विलंब–** कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक विवादों का त्वरित निस्तारण था, किंतु व्यवहार में मामलों की बढ़ती संख्या तथा सीमित संसाधनों के कारण विलंब की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अनेक न्यायालयों में एक ही परामर्शदाता को बड़ी संख्या में मामलों का दायित्व सौंप दिया जाता है, जिससे प्रत्येक मामले को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त बार–बार स्थगन, पक्षकारों की अनुपस्थिति तथा प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार विलंब के कारण न केवल न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, बल्कि पक्षकारों की मानसिक एवं भावनात्मक पीड़ा भी बढ़ जाती है (Law Commission of India, 1974)।

(3) **अवसंरचना की कमी–** प्रभावी परामर्श के लिए गोपनीय, शांत एवं अनुकूल वातावरण आवश्यक होता है। किंतु भारत के अनेक कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्श कक्षों, मनोवैज्ञानिक सहायता सुविधाओं तथा आवश्यक तकनीकी संसाधनों का अभाव पाया जाता है। कई बार परामर्श सत्र ऐसे स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं जहाँ गोपनीयता सुनिश्चित नहीं हो पाती। इससे पक्षकार अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को खुलकर व्यक्त करने में संकोच अनुभव करते हैं। उचित अवसंरचना के अभाव में परामर्श प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित होती है और उसके सकारात्मक परिणामों में कमी आती है (Narayan, 2018)।

(4) **जन–जागरूकता का अभाव–** कई पक्षकार परामर्श प्रक्रिया के उद्देश्य एवं महत्व से परिचित नहीं होते। वे इसे केवल न्यायिक प्रक्रिया की एक औपचारिकता समझते हैं और सक्रिय रूप से सहयोग नहीं करते। भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य तथा पारिवारिक परामर्श के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण अनेक लोग परामर्शदाता की भूमिका को महत्व नहीं देते। परिणामस्वरूप सुलह एवं समझौते की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। यदि समाज में परामर्श की उपयोगिता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, तो इसकी प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

परामर्शदाताओं की उपयोगिता का समीक्षात्मक मूल्यांकन

कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट होता है कि वे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय, संवेदनशील एवं समाधानोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परामर्शदाता विवादग्रस्त पक्षों के मध्य संवाद स्थापित करने, भावनात्मक तनाव को कम करने तथा समझौते की संभावनाओं को विकसित करने में सहायता करते हैं। उनके प्रयासों से अनेक मामलों में मुकदमेबाजी की अवधि और लागत कम हो जाती है तथा पारिवारिक संबंधों को संरक्षित रखने में सफलता मिलती है।

हालाँकि, परामर्शदाताओं की प्रभावशीलता कई व्यावहारिक कारकों पर निर्भर करती है। यदि उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधन तथा संस्थागत सहयोग प्राप्त न हो, तो वे अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त, परामर्शदाताओं की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कई बार परामर्शदाता केवल औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक सीमित रह जाते हैं, जिससे परामर्श प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य प्रभावित होता है।

समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो परामर्शदाताओं की उपयोगिता निर्विवाद है, किंतु उनकी भूमिका को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, निरंतर मूल्यांकन तथा आधुनिक परामर्श तकनीकों का समावेश आवश्यक है। यदि इन कमियों को दूर किया जाए, तो कुटुम्ब न्यायालयों की कार्यक्षमता और सामाजिक उपयोगिता दोनों में वृद्धि हो सकती है (Ratanlal & Dhirajlal, 2022)।

विदेशी देशों की पारिवारिक परामर्श व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

विश्व के अनेक देशों ने पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए परामर्श एवं मध्यस्थता को न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना दिया है। इन देशों के अनुभव भारत के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

(1) **ऑस्ट्रेलिया–** ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु ''फैमिली रिलेशनशिप सेन्टर'' की स्थापना की गई है। वहाँ बच्चों की अभिरक्षा एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में न्यायालय जाने से पूर्व पारिवारिक विवाद समाधान ''फैमिली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन'' की प्रक्रिया अपनाना प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशिक्षित परामर्शदाता और मध्यस्थ पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर विवादों को न्यायालय के बाहर ही सुलझाने का प्रयास करते हैं। इससे न्यायालयों पर भार कम होता है तथा विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है.

(2) **कनाडा–** कनाडा में पारिवारिक न्याय प्रणाली में परामर्श और मध्यस्थता को विशेष महत्व दिया गया है। विभिन्न प्रांतों में न्यायालय–संबद्ध परामर्श सेवाएँ उपलब्ध हैं, जहाँ विशेषज्ञ

परामर्शदाता परिवारों को भावनात्मक, सामाजिक तथा कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा अभिरक्षा विवादों में मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जाता है।

(3) **यूनाइटेड किंगडम–** यूनाइटेड किंगडम में ''फैमिली मेडीटेशन सर्विसेस'' पारिवारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकांश मामलों में पक्षकारों को न्यायालय में याचिका दायर करने से पूर्व मध्यस्थता सूचना एवं मूल्यांकन बैठक (MIAM) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं कम खर्चीला समाधान सुनिश्चित करना है।

विदेशी व्यवस्थाओं का अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रशिक्षित विशेषज्ञों, संस्थागत सहयोग तथा अनिवार्य या अर्ध–अनिवार्य परामर्श प्रणाली के माध्यम से पारिवारिक विवादों का प्रभावी समाधान संभव है। भारत में भी परामर्शदाताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक अवसंरचना तथा स्वतंत्र पारिवारिक परामर्श केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। इससे कुटुम्ब न्यायालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहन मिलेगा।

परिकल्पना परीक्षण

प्रस्तुत अध्ययन में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं की भूमिका, महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण विधिक प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों, विधि आयोग की रिपोर्टों तथा उपलब्ध साहित्य के आधार पर किया गया है। अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।

- **मुख्य परिकल्पना का परीक्षण–** मुख्य परिकल्पना यह थी कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनकी सक्रिय भागीदारी न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय एवं परिणामोन्मुख बनाती है।

  अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि परामर्शदाता पक्षकारों के मध्य संवाद स्थापित करने, सुलह एवं समझौते की संभावनाओं को विकसित करने तथा विवादों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः मुख्य परिकल्पना सत्य एवं स्वीकार्य पाई गई।

- **उप–परिकल्पनाओं का परीक्षण**

1. परामर्शदाताओं की सहभागिता से सुलह एवं समझौते की संभावना बढ़ती है।

   अध्ययन के दौरान न्यायिक निर्णयों एवं विधिक साहित्य के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि परामर्शदाताओं की सहायता से अनेक वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों का समाधान समझौते के माध्यम से संभव हुआ है। इसलिए यह परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

2. परामर्शदाताओं की सहायता से मुकदमेबाजी की अवधि एवं न्यायिक व्यय में कमी आती है।

   परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का प्रारंभिक स्तर पर समाधान होने से लंबी न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता कम होती है। इससे समय एवं आर्थिक व्यय दोनों में कमी आती है। अतः यह परिकल्पना भी स्वीकार की जाती है।

3. महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के हितों के संरक्षण में परामर्शदाता महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।

   अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अभिरक्षा, भरण–पोषण

तथा पारिवारिक हिंसा से संबंधित मामलों में परामर्शदाता न्यायालय को आवश्यक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे न्यायालय संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसलिए यह परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

4. प्रशिक्षित एवं अनुभवी परामर्शदाताओं की उपलब्धता कुटुम्ब न्यायालयों की कार्यक्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
   अध्ययन में पाया गया कि जहाँ प्रशिक्षित एवं अनुभवी परामर्शदाता उपलब्ध हैं, वहाँ विवादों के समाधान की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर है। अतः यह परिकल्पना स्वीकार की जाती है।
5. प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, प्रक्रियात्मक विलंब तथा अवसंरचना का अभाव परामर्श व्यवस्था की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।
   अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि अनेक कुटुम्ब न्यायालयों में संसाधनों की कमी तथा प्रशासनिक बाधाएँ परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह परिकल्पना भी सत्य पाई गई और स्वीकार की जाती है।
6. पर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधन एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध होने पर विवाद निस्तारण की गुणवत्ता एवं सफलता दर में वृद्धि हो सकती है।
   विदेशी व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन तथा उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सुदृढ़ संस्थागत ढाँचा परामर्श व्यवस्था की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। अतः यह परिकल्पना भी स्वीकार की जाती है।

- **शून्य परिकल्पना का परीक्षण–** शून्य परिकल्पना के अनुसार परामर्शदाताओं की भूमिका का पारिवारिक विवादों के निस्तारण की प्रभावशीलता, सुलह की संभावना तथा न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।
  अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों, न्यायिक दृष्टांतों तथा साहित्यिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।
- **वैकल्पिक परिकल्पना का परीक्षण–** वैकल्पिक परिकल्पना के अनुसार परामर्शदाताओं की भूमिका पारिवारिक विवादों के निस्तारण की प्रभावशीलता, सुलह की संभावना तथा न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
  अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह परिकल्पना पूर्णतः समर्थित एवं स्वीकार की जाती है।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि उनकी प्रभावशीलता संसाधनों, प्रशिक्षण एवं संस्थागत सहयोग पर निर्भर करती है, फिर भी कुटुम्ब न्यायालयों के उद्देश्यों की प्राप्ति में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य है।

परामर्शदाताओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यकतायें

कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की भूमिका पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि परामर्श व्यवस्था ने न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय एवं संवेदनशील बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, फिर भी इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है। परामर्शदाताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण,

संसाधन एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराकर उनकी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

(1) **परामर्शदाताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ–** पारिवारिक विवादों की प्रकृति निरंतर जटिल होती जा रही है। घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, बाल अभिरक्षा विवाद, साइबर उत्पीड़न तथा वैवाहिक संबंधों में बदलती सामाजिक परिस्थितियाँ परामर्शदाताओं के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि परामर्शदाताओं के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। इन कार्यक्रमों में मनोविज्ञान, पारिवारिक कानून, संवाद कौशल, मध्यस्थता तकनीक तथा बाल अधिकारों से संबंधित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। नियमित प्रशिक्षण से परामर्शदाताओं की व्यावसायिक दक्षता और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी तथा वे अधिक प्रभावी ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे (Diwan, 2021)।

(2) **प्रत्येक कुटुम्ब न्यायालय में पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता नियुक्त किए जाएँ–** वर्तमान में अनेक कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाताओं की संख्या उपलब्ध मामलों की तुलना में बहुत कम है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक परामर्शदाता पर अत्यधिक कार्यभार पड़ता है और प्रत्येक मामले को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसलिए प्रत्येक कुटुम्ब न्यायालय में मामलों की संख्या और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे परामर्श प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बन सकेगी (Family Courts Act, 1984)।

(3) **परामर्श केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए–** प्रभावी परामर्श के लिए उपयुक्त वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। अनेक न्यायालयों में परामर्श कक्षों की कमी, गोपनीयता का अभाव तथा तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसलिए परामर्श केंद्रों में पृथक एवं गोपनीय कक्ष, मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुविधाएँ, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली तथा ऑनलाइन परामर्श सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे पक्षकार अधिक सहजता से अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकेंगे और परामर्श प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होगा (Narayan, 2018)।

(4) **मध्यस्थता एवं परामर्श को अधिक संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाए–** कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्श एवं मध्यस्थता को न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। इसके लिए सरकार, न्यायपालिका एवं सामाजिक कल्याण संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। परामर्शदाताओं के कार्यों के मूल्यांकन, उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण तथा सेवा शर्तों के लिए स्पष्ट नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। साथ ही, न्यायालयों में मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा कानूनी विशेषज्ञों की बहु–विषयक टीमों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे परामर्श प्रक्रिया अधिक व्यापक एवं प्रभावी बन सके (Law Commission of India, 1974).

(5) **जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया के महत्व का प्रचार किया जाए–** भारतीय समाज में आज भी अनेक लोग परामर्श सेवाओं के महत्व को पूरी तरह नहीं समझते। कई पक्षकार इसे

केवल एक औपचारिक प्रक्रिया मानकर उसमें सक्रिय सहयोग नहीं करते। इसलिए जन–जागरूकता अभियानों, विधिक साक्षरता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा मीडिया के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया के लाभों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। जब लोगों को यह समझ आएगा कि परामर्श विवादों के शांतिपूर्ण एवं स्थायी समाधान का प्रभावी माध्यम है, तब वे इसमें अधिक सक्रिय भागीदारी करेंगे और इसके सकारात्मक परिणाम भी बढ़ेंगे (Ratanlal & Dhirajlal, 2022).

परामर्शदाताओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाए बिना कुटुम्ब न्यायालयों के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है। नियमित प्रशिक्षण, पर्याप्त नियुक्तियाँ, आधुनिक अवसंरचना, संस्थागत सहयोग तथा जन–जागरूकता जैसे उपाय परामर्श व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इन सुधारों के माध्यम से न केवल पारिवारिक विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा, बल्कि न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास भी और अधिक मजबूत होगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं के महत्व एवं उपयोगिता का समीक्षात्मक अध्ययन करना था। अध्ययन के दौरान कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों, विधि आयोग की रिपोर्टों तथा उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर निर्मित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया, जिससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि कुटुम्ब न्यायालयों में नियुक्त परामर्शदाता पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल विधिक विवादों के समाधान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विवादों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक पक्षों को भी समझते हुए पक्षकारों के मध्य संवाद एवं सुलह की संभावनाओं को विकसित करते हैं। इस प्रकार मुख्य परिकल्पना कि 'परामर्शदाता न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय एवं परिणामोन्मुख बनाते हैं' अध्ययन द्वारा पुष्ट एवं स्वीकार की गई।

उप–परिकल्पनाओं के परीक्षण से भी यह सिद्ध हुआ कि परामर्शदाताओं की सहभागिता से वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में समझौते की संभावना बढ़ती है तथा कई मामलों में मुकदमेबाजी की अवधि और न्यायिक व्यय में कमी आती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के हितों के संरक्षण में परामर्शदाता महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। साथ ही, प्रशिक्षित एवं अनुभवी परामर्शदाताओं की उपलब्धता कुटुम्ब न्यायालयों की कार्यक्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

हालाँकि, शोध के दौरान यह भी सामने आया कि प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी, प्रक्रियात्मक विलंब, अपर्याप्त अवसंरचना तथा सीमित संस्थागत सहयोग जैसी चुनौतियाँ परामर्श व्यवस्था की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इससे यह उप–परिकल्पना भी सत्य सिद्ध हुई कि परामर्श व्यवस्था की सफलता पर्याप्त संसाधनों एवं प्रशासनिक समर्थन पर निर्भर करती है। अध्ययन से यह भी प्रमाणित हुआ कि यदि परामर्शदाताओं को नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन एवं प्रभावी संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाए, तो कुटुम्ब न्यायालयों में विवाद निस्तारण की गुणवत्ता एवं सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

परिकल्पना परीक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि शून्य परिकल्पना, जिसके अनुसार परामर्शदाताओं की भूमिका का विवाद निस्तारण की प्रभावशीलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक

आधार पर अस्वीकार की जाती है। इसके विपरीत वैकल्पिक परिकल्पना, जिसके अनुसार परामर्शदाताओं की भूमिका विवाद निस्तारण की प्रभावशीलता, सुलह की संभावना तथा न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, पूर्णतः स्वीकार की जाती है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाता पारिवारिक न्याय व्यवस्था के एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी न केवल न्यायालयों के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बल्कि परिवार संस्था की स्थिरता, सामाजिक समरसता तथा न्याय के मानवीय स्वरूप को भी सुदृढ़ करती है। इसलिए कुटुम्ब न्यायालयों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए परामर्श व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं संसाधन–संपन्न बनाए जाने की आवश्यकता है।

आवश्यक सुझाव

1. कुटुम्ब न्यायालयों में नियुक्त परामर्शदाताओं के लिए नियमित एवं अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक कुटुम्ब न्यायालय में मामलों की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।
3. परामर्श सेवाओं के लिए पृथक, गोपनीय एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त परामर्श कक्ष उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु एक समान राष्ट्रीय मानक एवं योग्यता मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।
5. परामर्श प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
6. पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता एवं परामर्श को न्यायिक प्रक्रिया का अधिक सशक्त अंग बनाया जाना चाहिए।
7. परामर्शदाताओं के कार्यों की समय–समय पर समीक्षा एवं मूल्यांकन की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
8. महिलाओं, बच्चों एवं अन्य संवेदनशील वर्गों से संबंधित मामलों के लिए विशेष प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।
9. ऑनलाइन एवं हाइब्रिड परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देकर उनकी पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिए।
10. परामर्श प्रक्रिया के महत्व के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाने के लिए विधिक साक्षरता एवं जन–जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
11. परामर्शदाताओं को पर्याप्त वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।
12. कुटुम्ब न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु परामर्श एवं सुलह तंत्र को अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए।
13. परामर्श व्यवस्था से संबंधित आँकड़ों एवं परिणामों का नियमित दस्तावेजीकरण और शोध किया जाना चाहिए।
14. विदेशी देशों की सफल पारिवारिक परामर्श व्यवस्थाओं से प्रेरणा लेकर भारतीय प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।
15. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति हेतु परामर्शदाताओं की भूमिका को विधिक एवं प्रशासनिक स्तर पर और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

Afcons Infrastructure Ltd. v. Cherian Varkey Construction Co. (P) Ltd., (2010) 8 SCC 24.

Baxi, U. (1982). *The crisis of the Indian legal system*. Vikas Publishing House.

Bhatnagar, S. (2019). *Family law and social justice in India*. Universal Law Publishing.

Diwan, P. (2021). *Family law* (12th ed.). Allahabad Law Agency.

Family Courts Act, 1984, No. 66 of 1984, Government of India.

Government of India. (1984). *The Family Courts Act, 1984 (Act No. 66 of 1984)*. Ministry of Law and Justice.

Jagraj Singh v. Birpal Kaur, (2007) 2 SCC 564.

Jain, M. P. (2020). *Indian legal and constitutional history* (8th ed.). LexisNexis.

K. A. Abdul Jaleel v. T. A. Shahida, (2003) 4 SCC 166.

K. Srinivas Rao v. D. A. Deepa, (2013) 5 SCC 226.

Kapoor, S. K. (2018). *Family law and matrimonial remedies*. Central Law Agency.

Law Commission of India. (1974). *Fifty-Ninth Report on Family Courts*. Government of India.

Law Commission of India. (2015). *Report No. 257: Reforms in guardianship and custody laws in India*. Government of India.

Malhotra, A. (2017). Alternative dispute resolution in family disputes. *Journal of Family Law Studies, 5*(2), 55–72.

Menon, N. R. M. (2016). *Family courts and access to justice*. Eastern Book Company.

Mulla, D. F. (2021). *Principles of Hindu law* (23rd ed.). LexisNexis.

Narayan, P. S. (2018). *Family courts and matrimonial justice in India*. Eastern Book Company.

Parashar, A. (1992). *Women and family law reform in India: Uniform civil code and gender equality*. Sage Publications.

Parkinson, P. (2015). *Family law and the indissolubility of parenthood*. Cambridge University Press.

Raghavan, V. (2020). Counselling and mediation in family courts: A socio-legal perspective. *Indian Journal of Socio-Legal Studies, 12*(1), 88–103.

Ratanlal, & Dhirajlal. (2022). *The Family Courts Act, 1984* (3rd ed.). LexisNexis.

Roberts, M. (2014). *Mediation in family disputes: Principles of practice* (4th ed.). Ashgate Publishing.

Samar Ghosh v. Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511.

Sharma, D. (2018). Role of counsellors in family dispute resolution. *Journal of Legal Research and Studies, 8*(1), 34–49.

Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan, 2023 SCC OnLine SC 544.

Singh, A. (2019). Family courts and access to justice in India. *Indian Journal of Legal Studies, 10*(2), 45–61.

Singh, M. P. (2019). *Comparative family law*. Universal Law Publishing.

Sivaramayya, B. (2017). *Matrimonial laws in India*. Oxford University Press.

Srivastava, R. (2021). Effectiveness of family counselling in matrimonial disputes. *Indian Bar Review, 48*(3), 112–129.

The Constitution of India, 1950.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). *Child protection and family welfare framework*. UNICEF.

Verma, S. (2020). Family mediation and reconciliation under Indian family courts. *Journal of Indian Law and Society, 11*(2), 78–96.

Online Sources

India Code. (2024). *The Family Courts Act, 1984*. https://www.indiacode.nic.in

National Legal Services Authority. (2024). *Family dispute resolution and mediation services*. https://nalsa.gov.in

Supreme Court of India. (2024). *Judgments and orders*. https://main.sci.gov.in

United Nations. (2024). *Human rights instruments*. https://www.un.org

UNICEF. (2024). *Family and child welfare resources*. https://www.unicef.org

****